A3/1

ऑन लाईन न.RCMS2023/9

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एव अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. अरविन्द कुमार जाखड, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 02/2023

श्री जीत सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एव मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर।

बनाम

1 श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिसनलाल
मैसर्स आदित्य राशन घर, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर। —खाद्यकारोबारकर्ता एव मालिक—

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय

दिनांक : 10.10.2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी श्री जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनाक 26.07.2011 के गजट मे भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एव संशोधित गजट नोटिफिकेशन दिनाक 25.08.2011 को प्रकाशित कर दिया गया । व परिवादी का पदस्थापन एव कार्यक्षेत्र का आवटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज जयपुर के आदेश क्रमाक निदेशालय के आदेश क्रमाक–खाद्य सुरक्षा/ निदे0/2022/337 दिनाक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एव आदेश की फोटो प्रतिया न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

श्रीकवरपाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 11.10.2022 को बाद दोपहर बाद 2.30 पी.एम. का मै0 आदित्य राशन घर, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर पर पहुचा। मौके पर विक्रेता राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिसनलाल (खाद्यकारोबारकर्ता एव मालिक) को अपना परिचय देकर दुकान मे रखे खाद्य पदार्थ **Tea (shane Punjab)** के बारे मे जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वय को दुकान का विक्रेता एव मालिक होना बताया तथा दुकान मे रखे 250 ग्राम वजनी 20 खाद्य पदार्थ **Tea (shane Punjab)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **Tea (shane Punjab)** मे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाच वास्ते **Tea (shane Punjab)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतिया तैयार कर विक्रेता एव मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एव समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिसनलाल एव गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एव मालिक नवीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार काठपाल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **Tea (shane Punjab) 250 ग्राम वजनी 8 नग** विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **Tea (shane Punjab)** का नगद भुगतान 240/ रूपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Tea (shane Punjab) 8 पैकटो को दो–दो एक जगह बांध कर 4 बडे परौकेट बनाये।** 4 बडे पैकटो पर लेबल तैयार कर चिपकाये और चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **कमांक के–1567** नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारो नमूना भागो के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिसनलाल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म न 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं 06 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक –:L.S./959/Act/2022/959 Dated 20-10-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1567 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिसनलाल मैसर्स आदित्य राशन घर, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Tea (shane Punjab)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.01.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी छोटा गरीब दुकानदार है इसलिए प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रकरण मे निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनो पक्षो को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Tea (shane Punjab)** का सैम्पल **K-1567** जांच रिपोर्ट क्रमांक :L.S./959/Act/2022/959 Dated 20-10-2022 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा **(2)(ii)** का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया है कि प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है। प्रार्थी द्वारा **Tea (shane Punjab)** बाजार से खरीद किया था, जिसका बिल प्रार्थी द्वारा प्राप्त नही किया गया है। प्रार्थी अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी छोटा गरीब दुकानदार है इसलिए प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाया जाकर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का कष्ट करे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Tea (shane Punjab)" bearing Code No and Sr. No. K-1567, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006.** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है।

फलस्वरूप अभियुक्त राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिसनलाल एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिसनलाल को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/-00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य मे राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिसनलाल खाद्य पदार्थ मे डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटको का इस्तेमाल करे, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। इन आदेशो की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड)
न्याय निर्णायक अधिकारी (प्रशासन)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।